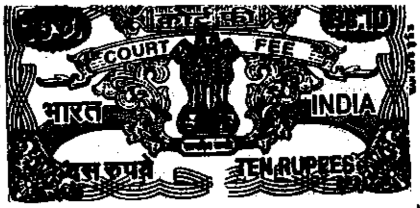


5-05-R- PBR/2017

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/2917

प्रस्तुति दिनांक:- 23/08/2017

# माननीय राजस्व बोर्ड म.प्र. ग्वालियर, इन्दौर

(119)

1. दौलतराम पिता रामरतन काछी धंधा खेती

नि.बिडवाल तह.बदनावर जि.धार म.प्र. — **प्रार्थी**

**विरूद्ध**

श्री अजय श्रीवास्तव अभिभाषक द्वारा ... प्रस्तुत

1. महेन्द्रकुमार पिता गणपतजी लौहार
2. हरीसिंह पिता नंदरामजी काछी

नि.बिडवाल तह.बदनावर जि.धार म.प्र. — **प्रत्यार्थीगण**

**निगरानी याचिका प्रार्थी की ओर से धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 के तहत**

मान्यवर,

प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बदनावर द्वारा रा.प्र.क्र. 2/अ–13/16–17 में अंतरिम आवेदन धारा 32 पर दिये गये आदेश दिनांक 31.07.2017 से दुखी व अप्रसन्न होकर अंदर अवधि निगरानी सविनय पेश करता है –

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/धार/भू.रा./2017/2917

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 20–9–2017 | आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के अन्तरिम आदेश दिनांक 31–7–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अन्तरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | Noted |